न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्याः 2019/1

दायर दिनाक 07.01.2019

वादी		प्रतिवादी
1. औंकारमल पुत्र स्वर्गीय सीताराम, जाति माली, निवासी सिघीं बास, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :–

1. हीरसिंह बलारा,एडवोकेट व रणजीत बलारा अधिवक्ता वादी की और से।

–:: निर्णय ::– दिनांक 11.01.2019

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खेत खसरा संख्या 2265 रकबा 9.09 बीघा, खसरा संख्या 2290 रकबा 0.13 बीघा कुल 10.02 बीघा वाके डीडवाना है, जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। उक्त खेतो की खातेदारी में वादी के पिता सीताराम की मृत्यु के बाद वादी ओंकारमल व वादी के भाई रामेश्वरलाल व मुकेशचन्दं के साथ सहव से सोनल पुत्री सीताराम का नाम सहव से खातेदारी में दर्ज हो गया, जबकि सोनल स्वर्गीय सीताराम की पुत्री नहीं है। बल्कि पौत्री है, और वह वादी के भाई रामेश्वरलाल की जायन्दा पुत्री है उक्त खातेदारी में से सोनल के नाम का गलत अंकन हटाया जाना कानूनन जरूरी है। सोनल पुत्री रामेश्वरलाल नाम सोनल की अंक तालिका व परिवार कार्ड में दर्ज है। तथा सोनल देवी ने राजकिय बांगड़ उच्च माध्यमिक विधालय डीडवाना में अध्यन किया है। वहॉ पर भी सोनल पुत्री रामेश्वरलाल दर्ज है। इस बाबत इस स्कुल के प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र भी साथ मे पेश है, जो वादी के कथन की पुष्टि करता है। इतना ही नहीं सोनल कि अंकतालिकाओं में भी सोनल पुत्री रामेश्वरलाल दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से सांनल का रामेश्वरलाल की पुत्री होना साबित हैं लेकिन राजस्व रेकर्ड में सहव से सोनल को सीताराम की पुत्री बताकर रेकर्ड में गलत अंकन कर दिया, जो गैर कानूनी है। सभी दस्तावेजात की नकले वाद के साथ में पेश है। तथा वादी सानल पुत्री रामेश्वरलाल के गलत अंकन को निरस्त कराने के जायज हकदार है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी का खतोनी की नकल प्रदर्श –1 है, प्रधानाचार्य के प्रमाण पत्र की नकल प्रदर्श –2 है, रामेश्वरलाल के परिवार कार्ड प्रदर्श –3 है, औकारमल के परिवार कार्ड प्रदर्श –4 है तथा मुकेश चन्द के परिवार कार्ड प्रदर्श –5 है, सोनल की बी. ए. तृतिय वर्ष की अंकतालिका प्रदर्श –6 है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वादी वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा संख्या 2265 रकबा 9.09 बीघा व खसरा संख्या 2290 रकबा 0.13 बीघा की खातेदारी में से सोनल पुत्री सीताराम का नाम हटाया जाता है, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

दायर दिनांक 07.01.2019

राजस्व वाद संख्याः 2019/1

वादी		प्रतिवादी
1. ओंकारमल पुत्र स्वर्गीय सीताराम, जाति माली, निवासी सिघीं बास, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत् 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक :– 11.01.2019

यह मुकद्दमा आज ववास्स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा संख्या 2265 रकबा 9.09 बीघा, खसरा संख्या 2290 रकबा 0.13 बीघा की खातेदारी में सोनल पुत्री सीताराम का नाम हटाया जाता है, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बाबत.............–.............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.01.2019 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर	–		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner